

राजस्थान सरकार  
पशुपालन विभाग

जयपुर, दिनांक :- 9 APR 2021

क्रमांक:-प.4(3)पपा/2020

---: आज्ञा :---

इस विभाग के समसंख्यक आज्ञा दिनांक 10.02.2021 द्वारा पशुपालन विभाग के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी (सामान्य) के पद पर चयनित अधिकारियों की 01.04.2018 की स्थिति में जारी वरिष्ठता अन्तिम (Final) सूची के निचे अंकित "वर्ष 2011-12 से वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी (विशिष्ट) के पद की लम्बित डीपीसी आयोजित किये जाने के दौरान वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी (विशिष्ट) के पद की योग्यता रखने वाले कार्मिक जो कि पूर्व में वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी (सामान्य) के पद पर चयनीत अधिकारियों द्वारा यदि विशिष्ट अनुभाग हेतु विकल्प दिया जाता है तो वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी (सामान्य) की प्रभावित होने डीपीसी को रिब्यू किया जायेगा तथा डॉ० पदम चन्द कानखेडिया, से प्राप्त अभ्यावेदन के क्रम में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी" पैरा को राजस्थान पशुपालन सेवा नियम 1963 के संशोधित नियम 2013 के नियम 4 (III) के प्रावधान के अनुसरण में विलोपित किया जाता है।

आज्ञा से,




(डॉ० वीरेन्द्र सिंह)

संयुक्त शासन सचिव

ESHA  
12/4/21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान।
3. निदेशक, पशुपालन विभाग, राज०, जयपुर।
4. संबंधित अधिकारी द्वारा-निदेशक, पशुपालन विभाग, राज०, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त शासन सचिव


राजस्थान सरकार  
निदेशालय पशुपालन

एफ.वी. 5(1)स्था०/अ/डीपीसी/विशिष्ट/वपचिअ/1531-80

जयपुर, दिनांक : 12/4/21

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. समस्त अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग।
3. समस्त उप निदेशक, पशुपालन विभाग।
4. प्रोग्रामर, निदेशालय पशुपालन, जयपुर विभागीय साईट पर अपलोड करने हेतु।
5. संबंधित वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा नियंत्रण अधिकारी।
6. रक्षित फंजिका।

  
अतिरिक्त निदेशक  
(फार्म एवं सम्पदा)